न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या –07 / 2025 (आव0व0अधि0)

GCMSNO: 2025/51

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

फर्म महफिल वेज एण्ड नॉन वेज रेस्टोरेन्ट, लैंडमार्क सिटी कुन्हाडी, कोटा संचालक आदिल इहफान पुत्र मोहम्मद शमीम जाति मुसलमान निवासी विज्ञान नगर कोटा

––अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 20.05.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 07.10.2024 के अनुसरण में जांच दल प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दिनांक 30.01.2025 को घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहनों में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के कम में कोटा शहर में कुन्हाडी क्षेत्र लैंडमार्ट सिटी में स्थित महफिल वेज एण्ड नॉन वेज रेस्टोरेन्ट पर मौके पर जांच की रेस्टोरेन्ट पर रेस्टारेन्ट संचालक आदिल इरफान पुत्र मोहम्मद शमीम जाति मुसलमान निवासी विज्ञाननगर कोटा उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में घरेलू गैस सिलेण्डरों की जांच का कार्य सम्पादित किया गया परिसर का अवलोकन करने पर 02 घरेलू लाल रंग के 14.2 किलोग्राम क्षमता के गैस सिलेण्डर मिले । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में रेस्टोरेन्ट संचालक आदिल इरफान से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जा रहा है इनके पास किसी भी प्रकार का गैस के कार्य किये जाने हेतु वैध लाईसेन्स अथवा दस्तावेज नहीं होना पाया गया । मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया । जिनका कुल अनुमानित मूल्य 4668/– अक्षरे चार हजार छः सौ अड़षठ रूपये है । जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न है –

क्र. सं.	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर पर एलपीजी काउपदर्शित मानक भार /क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्रा में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्रा में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	451235	BPCL	14.2	15.4	15.5	1.1	घरेलू
2	568961	BPCL	14.2	15.5	17.7	2.2	घरेलू

इस प्रकार कुन्हाडी क्षैत्र लैंडमार्क सिटी में स्थित महफिल वेज एण्ड नॉन वेज रेस्टोरेन्ट पर रेस्टोरेन्ट संचालक आदिल इरफान द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस ऑर्डर 2000 के खण्ड–3 (1) (ए)(बी व (सी) में निहित का प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है । अतः 02 घरेलू गैस सिलेण्डारों को जब्त कर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर सुलभ गैस एजेन्सी कोटा के प्रतिनिधि (डिलीवरी मेन) श्री महावीर चारण पुत्र श्री रामनारायण निवासी बावडी खेडा रानपुर कोटा निवासी को लोक सुरक्षा

जिला कलक्टर
कोटा

एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक विवेक तिवारी द्वारा उपस्थिति दी गई किन्तु वकालतनामा पेश नहीं किया ओर ना ही जवाब पेश किया है । अप्रार्थी के काफी समय से बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार रसद की एकपक्षीय बहस सुनी ।

3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी रेस्टोरेन्ट परिसर से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है तथा मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से मौके पर ही जब्त किये गये है । अतः उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को राजसात कराना फरमावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । वकील अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित है । अप्रार्थी द्वारा कुन्हाडी क्षैत्र लैंडमार्ट सिटी में स्थित महफिल वेज एण्ड नॉन वेज रेस्टोरेन्ट पर मौके पर जांच की रेस्टोरेन्ट पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 का उल्लंघन होने से प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के रेस्टोरेन्ट से जब्त किये गये है । अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अप्रार्थी बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रहे है, इससे यह जाहिर है कि उक्त जब्त सिलेण्डरों के सम्बन्ध में उनके पास कोई जवाब नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लिक्वीफाई पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 02 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को राजसात (Confiscat) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर का निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।

6. निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा